संख्या : — /जी0एस0(शिक्षा) / A11-113(1)/2021

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 2326/SDSUV/Affi/2020-21 दिनांक 17–07–2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा दून (पीजी) पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साईन्स एण्ड टैक्नोलॉजी, कैम्प रोड़, सेलाकुई, देहरादून को बी0एस–सी–एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2020–21 से स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव संस्थान में स्थायी सम्बद्धता हेतु अनिवार्य मानदण्ड पूर्ण न होने के दृष्टिगत् शैक्षिक सत्र 2020–21 से स्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत संस्थान को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण पर मा0 कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में सत्र दर सत्र के आधार पर कार्योत्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

क्र0	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I	दून (पीजी) पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साईन्स एण्ड टैक्नोलॉजी, कैम्प रोड़, सेलाकुई, देहरादून।	बी0–एससी0–एग्रीकल्चर	180 सीट	शैक्षिक सत्र 2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2– विश्वविद्यालय संस्थान को शैक्षिक सत्र 2020–21 की अस्थायी सम्बद्धता निर्गत् करने से पूर्व संस्थान की शैक्षिक सत्र 2019–20 की सम्बद्धता पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मा0 कुलाधिपति को उक्त स्थिति से अवगत करायेगा।

3– संस्थान के स्थायी सम्बद्धता सम्बन्धी मानक पूर्ण न होने के दृष्टिगत् छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए मा0 कुलाधिपति द्वारा सत्र 2020–21 की अस्थायी सम्बद्धता हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। संस्थान का स्थायी सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही कुलाधिपति सचिवालय को प्रेषित किया जाए।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1588 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A11-113(1)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक / प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।